1

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

1. कृष्ण कुमार | पि० केशुराम
2. भीमसिंह | जाति- जाट
3. महासिंह | निवासी रतनपुरा

उनवान

बनाम 1. प्यारी पत्नी हजारी (प्यारी पत्नी केशुराम)
2. रामकला पुत्री केशुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा
3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 222/2021

निर्णय दिनांक :– 11/12/2021

वादी की ओर से वकील भानुप्रताप बैनीवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/12/2021 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 16AMS के खाता संख्या 26/27 के मु० नं० 111, 116, 117 की कुल किता 27 की कुल 5.3760 हैक्टेयर में प्रतिवादी प्यारी के नाम 1/10 हिस्सा व 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 7 बारानी के खाता संख्या 19/22 के मु० नं० 9, 10, 13, 14 के कुल किता 23 की कुल 5.655 है० में प्रतिवादी प्यारी के नाम 1/10 हिस्सा व 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 9/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 प्यारी को 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़